रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-23122022-241341 CG-DL-E-23122022-241341

#### असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

### प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5774] No. 5774] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 22, 2022/पौष 1, 1944 NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 22, 2022/PAUSHA 1, 1944

## सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

#### अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 दिसम्बर, 2022

का.आ. 6015(अ).—केन्द्र सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 जी के उपधारा (5) के अनुसरण में, नीचे दी गयी सारणी के कॉलम (2) में उल्लिखित अधिकारी को, उक्त उपधारा के प्रयोजन के लिए इतद्वारा मध्य स्थिनियुक्त करती है जो उक्तसारणी के कॉलम (3) और(4) में यथा-विनिर्दिष्ट अपने संबंधित अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमाओं के अंतर्गत उक्त अधिनियम के द्वारा अथवा उसके तहत मध्यस्थ को प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करेगा और सौपे गए दायित्वों का निवर्हन करेगा। मध्यस्थ द्वारा पंचात करते समय इस अधिनियम की 3 जी की उपधारा (6) और (7) को ध्यान में रखा जाएगा।

8591 GI/2022 (1)

## सारणी

क्रम संख्या	अधिकारी का पदनाम	राजस्व जिला	राज्य
(1)	(2)	(3)	(4)
1	जिला कलेक्टर और मध्यस्थ	• कल्लाकुरिची	तमिलनाडु

फा. सं. NHAI/11018/2/2018/RO Chennai/599 dated 15th September 2021]

राजेश गुप्ता, निदेशक

# MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd December, 2022

**S.O.** 6015(E).—In pursuance of sub-section (5) of Section 3G of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby appoints the Officer mentioned in column (2) of the Table below, to be Arbitrator for the purpose of the said sub-section, who shall exercise the powers conferred and perform the duties imposed, on an Arbitrator by or under the said Act within the local limits of his respective jurisdiction as specified in column (3) and (4) of the said Table. Sub – Section (6) & (7) of Section – 3G of the Act shall be taken into consideration while passing awards by the Arbitrator.

**TABLE** 

Sl. No.	Designation of the Officer	Revenue District	State
(1)	(2)	(3)	(4)
1	The District Collector and Arbitrator, Kallakurichi District	Kallakurichi	TAMIL NADU

[F. No. NHAI/11018/2/2018/RO Chennai/599 dated 15th September 2021]

RAJESH GUPTA, Director